न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 372/2016

1. बरफा बाई पत्नि
2. बृजेश पुत्री
3. मूर्ति पुत्री
4. अंतिमा पुत्री
5. नीतू पुत्री
6. सविता पुत्री
7. हर्षिता पुत्री

स्व0 श्री माणक चंद जाति राठी निवासीगण बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. कालूलाल उर्फ कालूसिंह पुत्र श्री मथुरालाल जाति राठी निवासी बमोरीकलां तह0 मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री के0 के0 सोनी
दायरा दिनांक: 27.06.2016

निर्णय दिनांक : 28.09.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बमोरीकलां में आराजी खसरा नं0 1451 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1452 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 1453 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1454 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 1457 रकबा 0.38 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 3.48 है0, स्थित है, उक्त आराजी पैतृक है जो प्रतिवादी कम 1 को उनके पिता मथुरालाल से विरासत में प्राप्त हुई है। वादिया कम 1 प्रतिवादी कम 1 कालूलाल की पुत्र वधु है शेष वादीगण 2 लगायत 7 प्रतिवादी कम 1 कालूलाल के मृतक पुत्र माणक चंद के वारिसान है, प्रतिवादी कम 1 के एक पत्रु ओर मुकेश है जो जीवित है तथा कोटा रहकर व्यवसाय करता है प्रतिवादी कम 1 ने स्वेच्छा से अर्सा करीब 15 वर्ष पूर्व अपने पुत्र स्व0 माणकचंद के जीवनकाल में ही उक्त वर्णित आराजी का हिस्सा विभाजन 1/3–1/3 के हिसाब से करके करीबन 7 बीघा आराजी अपने पुत्र माणक चंद व उसके वारिसान को जीवन यापन हेतु दे दी थी। माणकचंद की मृत्यु के बाद प्रतिवादी कम 1 वादीगण को अपने हिस्से पर काश्त करने से रोकने लगा व आराजी को बेचान करने की धमकी देने लगा। जबकि वादीगण के पास जीवन यापन हेतु उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई स्त्रोत नही है उक्त आराजी पैतृक है जिस पर वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है। अतः ग्राम बमोरीकलां में स्थित आराजी खसरा नं0 1451 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1452 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 1453 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1454 रकबा 0.43 है0,

खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 1457 रकबा 0.38 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 3.48 है0 में वादीगण के 1/3 खातेदारी हिस्से की घोषणा की जाकर वादीगण का हिस्सा अलग से निश्चित किया जाए उसका राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। व प्रतिवादी कम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादीगण को 1/3 हिस्सा अनुसार काश्त व उपयोग करने में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 27.06.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.09.2018 को वकील वादी उपस्थित है प्रतिवादीगण को कई बार आवाज के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही होने से जवाब अवसर समाप्त कर प्रतिवादीगण को एक्स पार्टी किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 28.09.2018 को बहस सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। वकील वादीगण द्वारा आराजी में वादीगण को हिस्सा 1/3 को खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रतिवादी कम 1 को कालूलाल उर्फ कालूसिंह पुत्र श्री मथुरालाल जाति राठी उक्त आराजी विरासत से प्राप्त हुयी है जिसमें उसके वारिसान का हिस्सा भी निहित है, वारिसान का हिस्सा निहित होने के कारण वादीगण ग्राम बमोरीकलां में स्थित आराजी किता 7 रकबा 3.48 है0 में हिस्सा 1/3 के अधिकारी है। अतः मुताबिक वाद पत्र, शपथ पत्र वादीगण एवं बहस की रोशनी में वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि आराजी वाके माल ग्राम बमोरीकलां में स्थित आराजी खसरा नं0 1451 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1452 रकबा 1.27 है0, खसरा नं0 1453 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 1454 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 1455 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 1456 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 1457 रकबा 0.38 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 3.48 है0 में वादीगण कम 1 ता 7 को हिस्से 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। व प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/3 में वादीगण को काश्त करने देवे व किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना तो स्वयं करने और ना अपने प्रतिनिधि से करावें। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

2. यह कि वादया कम 1 प्रातवादा कम 1 कालूलाल का पुत्र वधु ह